



बिहार सरकार  
समाज कल्याण विभाग

मुख्यमंत्री

कन्या



उत्थान

योजना



बेटियों का

संरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वावलंबन



# मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना

बेटियों का संरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वावलंबन

राज्य सरकार द्वारा बालिकाओं के संरक्षण-स्वास्थ्य-शिक्षा-स्वावलंबन पर आधारित "मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना" लागू की गयी है। इस योजना का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, कन्याओं के जन्म, निबंधन एवं सम्पूर्ण टीकाकरण को प्रोत्साहित करना, लिंग अनुपात में वृद्धि लाना, बालिका शिशु मृत्यु दर को कम करना, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, बाल-विवाह पर अंकुश लगाना तथा कुल प्रजनन दर में कमी लाना है। यह योजना बालिकाओं को शिक्षित कर आत्मनिर्भर बनाने, सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने का अवसर प्रदान करने तथा परिवार एवं समाज में उनके आर्थिक योगदान को बढ़ाने में भी सहायक होगी। यह योजना राज्य के सभी कन्याओं को जन्म से लेकर स्नातक होने के लिए होगी। इस योजना का लाभ परिवार के दो कन्या संतानों तक सीमित रहेगा।



## 1. मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना:

कन्या शिशु के जन्म पर माता/पिता/अभिभावक के बैंक खाते में ₹2000 (दो हजार रुपये) की राशि का सीधा हस्तांतरण। इसका लाभ संस्थागत प्रसव की स्थिति में सरकारी अस्पताल में जननी सुरक्षा योजना के साथ साथ आवेदन कर प्राप्त किया जा सकता है अथवा आंगनवाड़ी केंद्र एवं आर.टी.पी.एस. काउन्टरों पर आवेदन कर योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। कन्या शिशु की आयु एक वर्ष पूरे होने और आधार पंजीकरण कराये जाने पर माता/पिता/अभिभावक के बैंक खाते में ₹1000 (एक हजार रुपये) की राशि का सीधा हस्तांतरण। योजना के इस चरण के लाभ हेतु आंगनवाड़ी केंद्र अथवा आर.टी.पी.एस. काउन्टरों से संपर्क करें।



## 2. सम्पूर्ण टीकाकरण योजना:

कन्या की आयु 2 वर्ष पूरा होने और सम्पूर्ण टीकाकरण कराने के उपरांत माता/पिता/अभिभावक के बैंक खाते में ₹2000 (दो हजार रुपये) की राशि का सीधा हस्तांतरण। योजना के इस चरण के लाभ हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र/उपकेंद्र से संपर्क करें।





### 3. मुख्यमंत्री पोशाक योजना ( बालिकाओं के लिए ):

सरकारी विद्यालयों की पहली एवं दूसरी कक्षा में नियमित रूप से पढ़ने वाली बालिकाओं को विद्यालय पोशाक के लिए लाभार्थी/माता/पिता/अभिभावक के बैंक खाते में प्रति वर्ष ₹600 (छः सौ रुपये) तथा तीसरी से पांचवीं कक्षा में पढ़ने वाली बालिकाओं के लिए ₹700 (सात सौ रुपये) की राशि का सीधा हस्तांतरण। योजना के इस चरण के लाभ हेतु अपने विद्यालय से संपर्क करें।

### 4. मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना :

सरकारी विद्यालय की छठी से आठवीं कक्षा में नियमित रूप से पढ़ने वाली बालिकाओं को विद्यालय पोशाक के लिए लाभार्थी/माता/पिता/अभिभावक के बैंक खाते में प्रति वर्ष ₹1000 (एक हजार रुपये) की राशि का सीधा हस्तांतरण। योजना के इस चरण के लाभ हेतु अपने विद्यालय से संपर्क करें।

### 5. बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना :

सरकारी विद्यालयों की नौवीं से बारहवीं कक्षा में नियमित रूप से पढ़ने वाली बालिकाओं को विद्यालय पोशाक के लिए लाभार्थी/माता/पिता/अभिभावक के बैंक खाते में प्रति वर्ष ₹1500 (एक हजार पाँच सौ रुपये) की राशि का सीधा हस्तांतरण। योजना के इस चरण के लाभ हेतु अपने विद्यालय से संपर्क करें।

### 6. मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम :

सरकारी विद्यालयों की सातवीं से बारहवीं कक्षा में नियमित रूप से पढ़ने वाली बालिकाओं को सैनिटरी नैपकीन का प्रयोग करने के लिए लाभार्थी/माता/पिता/अभिभावक के बैंक खाते में प्रति वर्ष ₹300 (तीन सौ रुपये) की राशि का सीधा हस्तांतरण। योजना के इस चरण के लाभ हेतु अपने विद्यालय से संपर्क करें।







## 7. मुख्यमंत्री बालिका (इंटरमीडियट) प्रोत्साहन योजना :

बिहार इंटरमीडियट परीक्षा परिषद् / बिहार मदरसा बोर्ड / बिहार संस्कृत शिक्षा परिषद् द्वारा आयोजित की जाने वाली इंटरमीडियट या समकक्ष (वार्षिक) परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली सभी अविवाहित बालिकाओं को लाभार्थी / माता / पिता / अभिभावक के बैंक खाते में ₹10,000 (दस हजार रुपये) की राशि का सीधा हस्तांतरण। योजना के इस चरण के लाभ हेतु अपने विद्यालय से संपर्क करें।

## 8. मुख्यमंत्री बालिका (स्नातक) प्रोत्साहन योजना :

बिहार में स्थापित विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित की जाने वाली स्नातक (वार्षिक) परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली सभी बालिकाओं को लाभार्थी / माता / पिता / अभिभावक के बैंक खाते में ₹25,000 (पच्चीस हजार रुपये) की राशि का सीधा हस्तांतरण। योजना के इस चरण के लाभ हेतु अपने महाविद्यालय से संपर्क करें।

राज्य सरकार द्वारा बालिकाओं के संरक्षण-स्वास्थ्य-शिक्षा-स्वावलंबन हेतु “मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना” लागू की गयी है। इसके अतिरिक्त अन्य योजनाएँ जैसे- छात्रवृत्ति योजना, साइकिल योजना, कन्या विवाह योजना के तहत लाभ कन्याओं को पूर्व की भांति मिलता रहेगा।

अधिक जानकारी के लिए टॉल फ्री नंबर 181 पर संपर्क करें!  
वेबसाईट : [www.wdcbihar.org.in](http://www.wdcbihar.org.in)



महिला विकास निगम  
समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में प्रकाशित